न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 174/2016

रावताराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । – अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। –रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 14.08.2007

उपस्थितः–

श्री भगवानदत शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष चक किशनपुरा के ख.न. 292/2, 310/2, 477, 501 की 40.14 बीघा भूमि को अस्थाई काश्त से स्थाई आवंटन का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 14.08.2007 को आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष पेश होने पर 33 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन कर दिया गया एवं 01.17 बीघा भूमि टीसी खारिज कर अधिशेष घोषित की गई। अपीलांट ने यह अपील 01.17 बीघा अधिशेष घोषित किये जाने को चुनौती दी है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

4/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने नोशनल शेयर की जो गणना की है वह सही नहीं की है। अधी.न्यायालय ने 01.17 बीघा भूमि जो टीसी खारिज की है वह उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियार शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट जितनी भूमि के आवंटन की पात्रता रखता था उतनी आवंटन कर दी गई। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.08.2007 के विरूद्ध दिनांक 26.07.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 14.08.2007 के विरूद्ध पेश की है जिसमें 01.17 बीघा भूमि अधिशेष घोषित की गई है को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 पर तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट अनुसार अपीलांट 34.17 बीघा भूमि टीसी से पुख्ता आवंटन का पात्र दर्शाया है जबकि आवंटन अधिकारी द्वारा 33 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन किया है उक्त विभेद का विवेचन नहीं करने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ

4/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

रिमांड की जाती है कि पुख्ता आवंटन 33 बीघा, अभिशंषा 34.17 बीघा, विभेद 01.17 बीघा ही अपील का अनुतोष होने से proper Notional Share की गणना कर पुनः विधिक आदेश पारित करे।

निर्णय दिनांक 04.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर